भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2437

उत्तर देने की तारीख 15 दिसंबर, 2025

सोमवार, 24 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास

2437. श्री खलीलुर रहमान:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्राप्त अभ्यर्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण संकाय की कमी है और सरकार द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए क्या पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कौशल प्राप्त छात्रों हेतु रोजगार सुविधाओं को मजबूत करने के लिए की गई पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत, योजना के पहले तीन संस्करणों - पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0, जो वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किए गए, में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, जिसे वित्त वर्ष 2022-23 से लागू किया जा रहा है, हमारा फोकस प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध करियर अवसरों का चयन करने के लिए सशक्त बनाने पर है और उन्हें ऑन-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) में उद्योग प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से इसके लिए उपयुक्त रूप से अभिविन्यस्त किया जाता है।

पीएमकेवीवाई के तहत नियुक्त किए गए प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) अनुदेशकों की भर्ती सहित सरकारी आईटीआई का रोजमर्रा के दैनंदिन प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(घ) पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, हमारा फोकस प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके विविध करियर अवसरों का चयन करने के लिए सशक्त बनाने पर है और उन्हें ऑन-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) में उद्योग प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से इसके लिए उपयुक्त रूप से अभिविन्यस्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत उम्मीदवारों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- **उद्योग की आवश्यकताओं के साथ तालमेल:** नियोजनीयता कौशल मॉड्यूल सहित राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के साथ जॉब रोल्स का संरेखण।
- **नए युग के कौशल:** एआई, एमएल, एआर/वीआर, 3डी प्रिंटिंग, ग्रीन इकोनोमी क्षेत्र आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण।
- **उद्योग के साथ सहभागिता:** कौशलीकरण इको सिस्टम को बेहतर बनाने और प्रशिक्षण को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए प्रमुख नियोक्ताओं और उद्योगों के साथ सहयोग।
- **लचीला पाठ्यक्रम:** विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी में अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।
- **स्थानीय भाषाओं का प्रोत्साहन:** यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो, साथ ही प्रशिक्षण सामग्री को उम्मीदवारों द्वारा बेहतर ढंग से समझने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद भी उपलब्ध हो।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2437 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कुशल उम्मीदवारों का राज्यवार ब्यौरा:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 20-21	वित्त वर्ष 21-22	वित्त वर्ष 22-23	वित्त वर्ष 23-24	वित्तीय वर्ष 24-25
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,464	613	310	648	909
आंध्र प्रदेश	66,404	13,199	5,798	32,449	35,471
अरुणाचल प्रदेश	51,991	8,884	667	4,152	10,054
असम	3,62,506	24,517	8,721	38,160	75,182
बिहार	96,288	47,643	12,213	23,613	99,982
चंडीगढ़	3,834	893	491	319	628
छत्तीसगढ	16,151	9,495	4,356	8,385	16,452
दिल्ली	55,121	19,965	2,262	10,686	12,277
गोवा	1,709	604	176	183	236
गुजरात	48,489	35,001	6,503	19,975	39,762
हरियाणा	54,719	18,191	8,963	27,411	75,942
हिमाचल प्रदेश	15,612	8,724	3,539	5,348	19,341
जम्मू और कश्मीर	58,927	21,339	7,352	28,895	85,557
झारखंड	15,452	34,233	5,302	8,796	30,034
कर्नाटक	53,066	23,153	8,410	13,025	69,486
केरल	31,077	12,968	5,673	8,832	10,449
लद्दाख	181	731	246	445	312
लक्षद्वीप	90	120	-	-	120
मध्य प्रदेश	95,403	46,659	21,345	34,884	2,59,871
महाराष्ट्र	1,48,352	39,864	14,913	35,284	75,368
मणिपुर	34,540	6,424	1,146	2,879	20,798
मेघालय	17,769	3,406	1,245	2,502	7,938
मिजोरम	11,433	4,742	1,162	3,609	6,888
नगालैंड	14,399	4,184	1,803	3,830	7,299
ओडिशा	68,828	12,645	12,116	21,457	26,231
पुदुचेरी	3,241	1,622	689	1,556	3,096
पंजाब	57,054	18,539	7,568	11,836	1,06,699
राजस्थान	97,822	38,511	9,232	23,564	2,80,156
सिक्किम	3,634	1,322	381	2,802	2,874
तमिलनाडु	72,404	29,057	8,029	34,533	85,689
तेलंगाना	33,999	13,107	8,040	15,390	22,188
डीएनएच और डी एंड डी	222	252	31	301	1,407
त्रिपुरा	46,676	4,490	1,608	5,005	14,346
उत्तर प्रदेश	2,39,286	69,015	25,568	71,801	4,63,503
उत्तराखंड	29,412	10,522	2,942	11,669	35,364
पश्चिम बंगाल	53,221	31,406	12,370	25,768	36,410
कुल	**19,60,776**	**6,16,040**	**2,11,170**	**5,39,992**	**20,38,319**

अनुबंध II

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2437 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच सालों में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत उम्मीदवारों का राज्यवार ब्यौरा:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्त वर्ष 20-21**	**वित्त वर्ष 21-22**	**वित्त वर्ष 22-23**	**वित्त वर्ष 23-24**	**वित्तीय वर्ष 24-25**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत नियोजन को अलग कर दिया गया है।		
आंध्र प्रदेश	7,555	7,100			
अरुणाचल प्रदेश	2,774	5,517			
असम	9,926	11,754			
बिहार	11,493	15,841			
चंडीगढ़	1,851	402			
छत्तीसगढ	1,222	568			
दिल्ली	7,510	3,742			
गोवा	17	47			
गुजरात	10,911	2,073			
हरियाणा	7,957	4,008			
हिमाचल प्रदेश	2,021	1,580			
जम्मू और कश्मीर	7,556	2,126			
झारखंड	1,606	2,276			
कर्नाटक	5,030	6,119			
केरल	1,213	3,094			
लद्दाख	67	-			
लक्षद्वीप	-	-			
मध्य प्रदेश	16,010	12,649			
महाराष्ट्र	8,830	7,089			
मणिपुर	4,661	3,064			
मेघालय	1,604	4,871			
मिजोरम	1,438	1,627			
नागालैंड	2,836	763			
ओडिशा	3,704	4,211			
पुदुचेरी	2,128	748			
पंजाब	17,251	9,537			
राजस्थान	17,189	14,328			
सिक्किम	1,479	893			
तमिलनाडु	6,016	3,865			
तेलंगाना	6,724	4,941			
डीएनएच और डी एंड डी	230	32			
त्रिपुरा	1,420	2,468			
उत्तर प्रदेश	29,901	17,547			
उत्तराखंड	9,026	3,949			
पश्चिम बंगाल	6,946	5,333			
कुल	**2,16,102**	**1,64,162**			

*****